विशेष न्यायालय (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव

मुकदमा संख्या:– 408/2024

चन्द्र पाल बनाम राम प्रसाद यादव आदि

दिनांक:– 02.07.2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम पवई, थाना माखी, जिला उन्नाव का निवासी हैं। गाँव के राम प्रसाद यादव पुत्र बद्रीनाथ, रजनीश, संदीप यादव पुत्रगण सीताराम यादव, सर्वेश यादव, श्याम यादव पुत्रगण राम प्रसाद यादव, विनोद, सत्यनरायन, प्रमोद पुत्रगण देवी प्रसाद, सोनू पुत्र प्रमोद, सन्तोष पुत्र विनोद दबंग एवं अपराधी किस्म के व्यक्ति है। प्रार्थी को दिनांक 17.09.2023 को समय लगभग 05:00 बजे मारा पीटा था जिसकी शिकायत थाना माखी में की थी उसी रंजिश के कारण प्रार्थी को दुबारा दिनांक 20.09.2023 को समय लगभग 06:00 बजे शाम को प्रार्थी के दरवाजे पर राम प्रसाद यादव, रजनीश, सन्दीप, सर्वेश, श्याम शराब के नशे में आये रामप्रसाद पुरानी रंजिश के कारण प्रार्थी को जाति सूचक कोरेवा शब्दों का प्रयोग करते हुए माँ–बहन की गन्दी–गन्दी गालियाँ देते हुए लात घूसो से मारने लगे राम प्रसाद यादव ने अपने साथियों विनोद, सत्यनरायन, प्रमोद को आवाज देकर बुलाया कहा डण्डा लेकर आओ सभी लोग अपने–अपने हाथो में डण्डा सरिया, कुल्हाड़ी, लेकर आ गये राम प्रसाद यादव ने कहा कि आज साले कोरेवा को मारते–पीटते ठीक कर दो हमारे खिलाफ दरख्वास्त दी है सभी लोग एक राय होकर प्रार्थी को लात–घूसों डण्डो से मारने लगे प्रार्थी जान बचाकर अपने घर के अन्दर घुस गया तो पीछे से सभी लोग प्रार्थी के घर के अन्दर घुसकर लात घूसो डण्डो से मारने लगे सन्तोष ने प्रार्थी के सर पर सरिया मार दी जिससे सर में बायी तरफ गम्भीर चोटें आयी है। प्रार्थी का भाई कुशेहर बचाने दौड़ा तो प्रमोद ने प्रार्थी के भाई कुशेहर के सर पर कुल्हाड़ी मार दी जिससे कुशेहर के सर में बाई तरफ गम्भीर चोट आयी है। और सत्य नरायन उर्फ सन्ती ने प्रार्थी के नाक पर जान से मारने की नियत से डण्डा मार दिया जिससे प्रार्थी के नाक पर गम्भीर चोटे आयी है। घर में मौजूद प्रार्थी की माता सियादुलारी बचाने दौड़ी तो राम प्रसाद यादव ने प्रार्थी की माता का हाथ पकडकर मरोड दिया जिससे प्रार्थी की माता के हाँथ में चोट आयी है और इसी बीच बक्से में रखे मु0–3000/– रूपये श्याम यादव ने निकाल लिया तथा प्रार्थी की माँ के कान में पहने सोने के झाला भी निकाल लिए। प्रार्थी के शोरगुल पर पड़ोस के काफी लोग आ गये भीड़ होने लगी तो उपरोक्त मुल्जिमान जाते समय धमकी दे रहे थे कि अगर हम लोगों के खिलाफ कहीं कोई कार्यवाही की तो जान से मार देंगे उक्त लोगों की दबंगई के कारण कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। प्रार्थी उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना माखी दूसरे दिन गया थाना माखी की पुलिस ने कहा कि जाँच कर रिपोर्ट लिखी जायेंगी प्रार्थी की न डाक्टरी करायी गयी और न रिपोर्ट लिखी गयी और न जाँच हुई तब प्रार्थी ने उन्नाव आकर अपनी व अपने भाई कुशेहर की डाक्टरी उमाशंकर दीक्षित सयुक्त चिकित्सालय उन्नाव में कराकर घटना के बाबत् श्रीमान् पुलिस अधीक्षक उन्नाव के समक्ष पेश

होकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया और एक प्रार्थना जरिए रजिस्ट्री डाक से पुलिस अधीक्षक उन्नाव को प्रेषित किया उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त लोगो की मार पीट के कारण प्रार्थी को गम्भीर चोटे आने के कारण हालत काफी खराब होने पर प्रार्थी प्रसाद हॉस्पिटल लखनऊ में दिनांक 27.09.2023 से 06.10.2023 तक भर्ती होकर अपना इलाज कराया। थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने के कारण प्रार्थी को धारा 156(3) सीआर०पी०सी० के तहत मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए श्रीमान् जी के समक्ष प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता हुई जो श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि थाना माखी, की पुलिस को मुकदमा पंजीकृत कर घटना की विवेचना किए जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जायें।

परवादी ने अपने मुकदमा अपराध पत्र के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्वंय वादी चन्द्र पाल व धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी०डब्ल्यू० 1 कुसेहर एवं पी०डब्ल्यू०–2 दुलारी परीक्षित हुए है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र, आधार कार्ड एवं जाति प्रमाण–पत्र की छाया प्रतियां दाखिल की है।

धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवादी चन्द्र पाल ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "घटना दिनांक 20.09.2023 समय करीब 6 बजे शाम को अपने दरवाजे पर बैठा था। शराब के नशें में उसी समय राम प्रसाद यादव, रजनीश, संदीप, सर्वेश व विनोद, सत्य नरायन पुत्र देवी प्रसाद, संतोष पुत्र विनोद, सोनू पुत्र प्रमोद दबंग व अपराधी किस्म के व्यक्ति है, शराब के नशे में आए और मुझे माँ–बहन की जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे। मैंने गाली देने से मना किया तो उक्त सभी लोग लात–घूंसों व डण्डों, सरिया, कुल्हाड़ी से मारने लगे। राम प्रसाद यादव ने कहा आज साले कोरी को जान से मार देंगे। प्रार्थी का भाई कुशेहर बचाने दौड़ा तो उसे भी उक्त लोगों ने मारा–पीटा जिससे कुशेहर के सर में चोटें आई। प्रार्थी किसी तरह बचकर घर में घुस गया पीछे से घर में घुसकर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई को मारने–पीटने लगे। माता सिया दुलारी का हाथ पकड़कर धक्का देकर गिरा दिया जिससे माता के हाथ में चोट आई और बक्शे में रखे 3000/– रू० श्याम यादव ने निकाल लिया। हम तथा भाई व माता रिपोर्ट लिखाने थाने गए लेकिन थाना माखी में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एस०पी० को प्रार्थना–पत्र दिया। सुनवाई नहीं हुई तब न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दिया है।"

परिवादी द्वारा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी०डब्ल्यू० 1 कुसेहर एवं पी०डब्ल्यू०–2 दुलारी को परीक्षित कराया है जिन्होने मुकदमा अपराध पत्र का समर्थन किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस प्रकार परिवादी चन्द्र पाल द्वारा प्रस्तुत मुकदमा अपराध पत्र में धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित स्वयं परिवादी चन्द्र पाल व धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी०डब्ल्यू०–1 कुसेहर, पी०डब्ल्यू०–2 दुलारी के बयान से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि दिनांक 20.09.2023 समय करीब 6 बजे शाम को जब परिवादी अपने दरवाजे पर बैठा था तभी उक्त विपक्षीगण राम प्रसाद यादव, रजनीश, संदीप, सर्वेश व विनोद, सत्य नरायन पुत्र देवी प्रसाद, संतोष पुत्र

विनोद, सोनू पुत्र प्रमोद शराब के नशे में आए और परिवादी को माँ–बहन की जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे। परिवादी द्वारा गाली देने से मना करने पर उक्त विपक्षीगण द्वारा लात–घूंसों व डण्डों, सरिया, कुल्हाड़ी से मारा गया। **विपक्षी राम प्रसाद यादव द्वारा कहा गया "आज साले कोरी को जान से मार देंगे।"** परिवादी का भाई कुशेहर बचाने दौड़ा तो उसे भी उक्त लोगों ने मारा–पीटा गया जिससे कुशेहर के सर में चोटें आई। परिवादी किसी तरह बचकर घर में घुस गया तो पीछे से घर में घुसकर परिवादी व उसके भाई को मारने–पीटने लगे। माता सिया दुलारी का हाथ पकड़कर धक्का देकर गिरा दिया गया जिससे माता के हाथ में चोट आई और **विपक्षी श्याम यादव द्वारा बक्शे में रखे 3000/– रू० ने निकालने का कथन किया गया है।** प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी व तथ्य के साक्षियों द्वारा अपने बयानों में विपक्षी श्याम यादव के बारे में 3000/– रू० बक्से से निकालने का कथन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी प्रमोद का उक्त घटना में संलिप्त होने का वर्णन तथ्य के अन्य साक्षियों कुसेहर व दुलारी द्वारा अपने–अपने बयानों में किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी राम प्रसाद यादव को धारा 323, 452, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट व विपक्षीगण रजनीश, संदीप, सर्वेश व विनोद, सत्य नरायन पुत्र देवी प्रसाद, संतोष पुत्र विनोद, सोनू पुत्र प्रमोद एवं प्रमोद को धारा 323, 452, 504 भा०दं०सं० एवं 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट में तथा अभियुक्त श्याम यादव को धारा 452, 379 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अपराध में तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षीगण **राम प्रसाद यादव** को **धारा 323, 452, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट** व विपक्षीगण **रजनीश, संदीप, सर्वेश व विनोद, सत्य नरायन पुत्र देवी प्रसाद, संतोष पुत्र विनोद, सोनू पुत्र प्रमोद एवं प्रमोद** को धारा **323, 452, 504 भा०दं०सं० एवं 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट** में तथा **अभियुक्त श्याम यादव को धारा 452, 379 भा०दं०सं० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट** के अन्तर्गत अपराध में तलब किया जाता है। तद्नुसार प्रस्तुत परिवाद निस्तारित कर कार्यालय प्रस्तुत प्रकरण को राज्य विशेष सत्र वाद के रूप में दर्ज करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी हेतु दिनांक ..... को पेश हो।

दिनांक:– 02.07.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या:–02, उन्नाव